




फर्द अहकाम

मीना बनाम कैलाश

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

नस्ब वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : दावा 153 / 2024

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
01	08.2024	<p>यह दावा वादी न अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रतिवादीगणों पर सम्मनों की तामिल आदेश 5 नियम 9 में उपबन्ध अनुसार हो। वादी को आदेशित किया जाता है कि सात दिवस के भीतर वाद पत्र की प्रतियों के साथ प्रतिवादियों पर सम्मनों की तामिल हेतु आवश्यक प्रतियां एवं अपेक्षित फीस प्रस्तुत करें। सात दिवस में इस आशय का शपथ पत्र पेश हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजि. नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 03.09.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर बस्सी, जयपुर ग्रामीण </p>	
03/9/24		<p>पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपास्थित। पेश शुदा नोटिस की तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 5/9/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>	
5/9/24		<p>पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी अनुपस्थित। वादी स्वयं भी उपास्थित। न्यायालय समय में वाद-बार भावाजे लगावारी गई परन्तु ना तो वादी स्वयं उपास्थित हुए ना ही वादी की मोर से कोई भावियेकर उपास्थित हुए। अतः वादी को वरि 2500 धारिरी भादक पत्रों में खारिज किया जाता है अतः पत्रावली न्यर से कर होकर दायिल रकल हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>	